मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

– : : आदेश : : –

02 MAR 2017

क्रमांक एफ 08–03/2017/2 /34 भोपाल, दिनांक :

ग्रामीण बसाहटों में नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है तथा योजनाओं का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत को संचालन–संधारण करने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाता है। नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का होता है, योजना में टूट–फूट होने पर आवश्यक मरम्मत कार्य कराने तथा योजना का यथोचित रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई नलजल योजनायें ग्राम पंचायत स्तर से समुचित रखरखाव एवं संधारण के अभाव में बंद हो जाने की स्थिति में स्थानीय जिला कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा मुख्यतः ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से ऐसी बंद योजनाओं को चालू कराने के कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे सुधार कार्यों के प्राक्कलन जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्राप्त की जाती है, जिला स्तर पर प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित नहीं है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा बंद ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं को चालू करने के लिए प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर प्रत्यायोजित करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन करता है :–

1–जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
3–कार्यपालन यंत्री,लो.स्वा.यां.वि.(संबंधित जिला/खंड)	–	सदस्य सचिव

3/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संबंधित जिला/खंड) द्वारा प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किये जावेंगे। ये प्राक्कलन योजना को यथास्थिति (Design अनुसार) चालू करने के उद्देश्य से तैयार किये जायेंगे, अर्थात् कोई नवीन कार्य (जैसे–पाईप लाईन विस्तार) जो योजना के पूर्व स्वरूप में नहीं था, को शामिल नहीं किया जाएगा।

4/ केवल बंद योजनाओं के प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी, अर्थात् चालू योजनाओं के संधारण हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी। संधारण कार्य पूर्ववत् ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में जिला पंचायत के माध्यम से बंद योजनाओं के संधारण हेतु राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।

क्रमशः 2..

5/ बंद योजना के सुधार हेतु वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भी कार्य करने के लिए प्राक्कलन स्वीकृत किये जा सकेंगे, परंतु किसी भी योजना पर वित्तीय वर्ष में रू. 10.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/प्रस्तावों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।

6/ स्वीकृत किये गये प्राक्कलनों हेतु वित्तीय संसाधन जिला पंचायत को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7/ अपरिहार्य कारणों से समिति की विधिवत बैठक आहूत नहीं हो पाने की स्थिति में प्राक्कलनों की प्रशासकीय स्वीकृति परिभ्रमण में भी प्राप्त की जा सकेगी।

8/ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा (टीप क्रमांक 388/295/2016/17 / वित्त/नियम/चार/ दिनांक 01.03.2017) प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकारों को जिला स्तर पर प्रत्यायोजन हेतु सहमति प्रदान की गई है।

9/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

02/03/2017

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 08–03/2017/2 /34 भोपाल, दिनांक : 02 MAR 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
5. संभागायुक्त,.....संभाग(समस्त)
6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर /जबलपुर
7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग,..... मण्डल म.प्र.
8. कलेक्टर, जिला.....(समस्त)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.....(समस्त)
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.वि. खण्ड.....(समस्त)

की ओर सूचनार्थ।

02/03/2017

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग